

वाद संख्या-१७ /2011

धारा-143 जमी०विनाश स्वं भूमि व्यवस्था  
अधिनियम ।  
मौजा- पिण्डारन पर0/तह0 बबेल ३५ बांदा०  
स्व0 गया प्रसाद महाविद्यालय भाषुवा,  
प्रबन्धक राम किशोर सिंह

रिपोर्ट लेखा ल

बनाम

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में निर्धारित प्राप्ति अन्तर्गत धारा-143 उ० प्र० भूमि व्यव0  
स्वं जमी०विनाश अधिनियम १३५ ॥ के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी  
है कि खतोनी १४१८ लगायत १४२३ फ० के छाता संख्या-२८२ के गाटा संख्या-२१६३ मि०  
रक्का० ०.७८८ है० मा०० गु० ८.३६ र० पर स्व० गया प्रसाद महाविद्यालय भाषुवा का  
मकान व बाउन्डी व खेलूद के भैदान के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उपरोक्त  
-त विवृति के अनुसार स्तम्भ-६ व ७ में अंकित भूमि संख्या- व क्षेत्रफल कृषि बागवानी  
पशुपालन, मत्स्य संरक्षण तथा कुकुट पालन से असबद्ध प्रयोजन में प्रयुक्त हो रही है।  
लेखा ल व राजस्व निरीक्षक ने उ० प्र० जमी० विनाश स्वं भूमि व्यवस्था नियम की  
नियम १३५ पर इसकी आव्यादिता दिनांक १६-७-२०११ को प्रस्तुत की है। नियम अनुसार  
वाद पंजीकृत करके मूल काश्तकार को सम्मन निर्णत कर तत्व किया गया।  
राम किशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निवासीग्राम-भाषुवा ने अपनी भूमि गाटा सं०  
२१६३ मि० रक्का० ०.७८८ है० में स्व० गया प्रसाद महाविद्यालय भाषुवा की विलिंग  
बनी होने के कारण आबादी घोषित करने विषयक अनापत्ति प्रार्थना-पत्र देकर लेखा ल  
की रिपोर्ट के आधार पर आबादी घोषित किये जाने की याचना की है।

पत्र लाली पर उपलब्ध लेखा ल व राजस्व निरीक्षक की आव्यादिता में कहा  
गया है कि गाटा संख्या-२१६३ मि० रक्का० ०.७८८ है० में स्व० गया प्रसाद महाविद्या  
यालय, भाषुवा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, जिस पर विद्यालय  
बाउन्डी भावन व भैदान लाली है। जिस पर विद्यालय का बिज्ञप्ति है। इस प्रकार उक्त  
भूमि कृषि बागवानी अथवा पशुपालन, मत्स्य संरक्षण स्वं कुकुट पालन में नहीं आ रहे  
भूमि कृषि बागवानी अथवा पशुपालन, मत्स्य संरक्षण स्वं कुकुट पालन में नहीं आ रहे  
है। अपितु महाविद्यालय का आबासीय भावन निर्मित हो चुका है। जिसमें विद्यालय का  
हो रहा है, और कृषि प्रयोजन में नहीं है। प्रश्नगत भूमि संक्रमणीय भूमि की ऐसी  
की है। इस कारण इसके सम्बन्ध में उपर्युक्त दशायि गये क्षेत्रफल के विषय में उ० प्र० जमी०  
विनाश स्वं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-१४३ के अन्तर्गत प्रछयापन किये जाने  
के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है।

#### आदेश

उपर्युक्त विवेकना के आलोक में ग्राम पिण्डारन की भूमि गाटा संख्या-  
२१६३ मि० रक्का० ०.७८८ है० मा०० गु० ८.३६ र० पर स्व० गया प्रसाद महाविद्यालय,  
भाषुवा प्रबन्धक, राम किशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निवासी-भाषुवा का विद्यालय  
भूकृत आदि निर्मित होने के कारण संलग्न लेखा ल/प्र० राज० निरीक्षक की आव्याद  
नजरीनक्षा के अनुसार कृषि प्रयोजन से असबद्ध अकृषिक प्रयोजन हेतु जिसका उल्लेख  
आयोजित किया जा चुका है, के लिए प्रछयापित किये जाते हैं। तब अनुसार सम्बन्धित खाते  
के समझ इसके अमलदरामद किये जाने हेतु परवाना अमलदरामद निर्णत हो, और वर्तमान  
खतोनी के पश्चात मिर्मित होने वाली खतोनी में भूमि संबंधित खाते के समझ इसका  
अमलदरामद होता रहे। नियम लाली के नियम-१३७ के अन्तर्गत आदेश की एक प्रति  
प्रबन्धक, बबेल को भोजी जाये, जिसे वह यथावृत्ति निर्भयपूर्ण रूप से करें।  
लेखा ल आव्याद व नजरीनक्षा आदेश का अंग रहेगा। पत्र लाली बाद अग्रेन्तर कार्य  
की ही संचित अभिलेखागार की जाये।

ATTESTED  
नियम लाली दिनांक २८-७-२०११

असियकल० प्र० श्री पंडीत भूमिगतिकारी, बबेल  
१२०११

प्र० विद्यालय सम्बन्धित  
बबेल (बादा)

वाद संख्या-१८ /२०११

लेखाल रिपोर्ट

बन एम

पारा-१४३ जमी० विनाश सर्वं भूमि व्य० अध०  
मौजा० पिण्डा० रन परगना० तहसील बबौल।स्वाण्या० प्रसाद महाविधालय भाष्टुवा० प्रबन्धक  
रामकिशोर सिंह

## निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में निर्धारित प्रारूप पर अन्तर्गत पारा-१४३ उ० प्र० भूमि व्यवस्था सर्वं जमीदारी विनाश अधिनियम १३५० के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि खतोनी खाता १४१८ लगायत १४२३ फ० के खाता संख्या-१०७९ के अन्तर्गत संख्या-२१५६ के रकबा० ०.४१८ है० प्र० ३-६० ल० पर स्व० गया० प्रसाद महाविधालय भाष्टुवा० का भावन बाउदी व खेकूद के भैदान के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उपरोक्त विवरण के अनुसार स्तम्भ ६ व ७ में अंकित भूमि संख्या० व क्षेत्रफल कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य सर्वर्धम, तथा कुक्कुट पालन से असबद्ध प्रयोजन में प्रयुक्त हो रही है। लेखाल व राजस्व निरीक्षक ने ३० प्र० जमीदारी विनाश सर्वं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम १३५ पर इसकी आख्या० दिन तक १६-७-२०११ को प्रस्तुत की है। नियमानुसार वाद पंजीकृत करके मूल कार्यकार को सम्मन निर्गत कर त्तेज किया गया। रामकिशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निवासीग्राम-भाष्टुवा० ने अपनी भूमि ग्रृहा संख्या-२१५६ के रकबा० ०.४१८ है० में स्व० गया० प्रसाद महाविधालय भाष्टुवा० की विलिंग बनी होने के कारण आबादी घोषित करने विषयक अनापत्ति प्रार्थना०-पत्र देकर लेखाल की रिपोर्ट के आधार पर आबादी घोषित किये जाने की याचना की है।

पत्रावली पर उपलब्ध लेखाल व राजस्व निरीक्षक की आख्या० में कहा गया है कि गांठा० संख्या-२१५६ के रकबा० ०.४१८ है० में स्व० गया० प्रसाद महाविधालय भाष्टुवा० के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, जिस पर विधालय बाउदी, भावन व खेकूद का भैदान बना है, जिस पर विधालय काबिज है। इस प्रकार उक्त भूमि कृषि बागवानी अस्ता० पशुपालन, मत्स्य संवर्धम सर्वं कुक्कुट पालन में नहीं आ रही है। अपितु महाविधालय का आवासीय भावन निर्मित हो चुका है, जिसमें शिक्षण कार्य हो रहा है, और कृषि प्रयोजन में नहीं है। प्रश्नगत भूमि संक्रमणीय भूमि की श्रेणी की है। इस कारण इसके संबंध में उपर्युक्त दशायि गये क्षेत्रफल के विषय ३० प्र० जमी० विनाश सर्वं भूमि व्यवस्था अधिनियम की पारा-१४३ के अन्तर्गत प्रछयापन किये जाने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है।

## आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में ग्राम-पिण्डारन की भूमि गांठा०

संख्या-२१५६ के रकबा० ०.४१८ है० प्र० ३-६० ल० पर स्व० गया० प्रसाद महाविधालय भाष्टुवा०, प्रबन्धक रामकिशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निवासीग्राम-भाष्टुवा० का विधालय भावन आदि निर्मित होने के कारण संलग्न लेखाल/ प्र० राज० निरीक्षक की आख्या० व नजरी नक्शा के अनुसार कृषि प्रयोजन से असबद्ध अकृषिक प्रयोजन हेतु जिसका उल्लेख अमर किया जा चुका है, के लिए प्रछयापित किये जाते हैं। तदनुसार संबंधित खाते के समक्ष इसके अमलदरामद किये जाने हेतु परवाना० अमलदरामद निर्गत हो, और वर्तमान खौनी के पश्चात निर्मित होने वाली खौनी में भी संबंधित खाते के समक्ष इसका अमलदरामद होता रहे। नियमावली के नियम-१७ के अन्तर्गत आदेश की एक प्रति उपनिवेश बबौल को छोड़ी जाये, और वह संभवतः निवेशित करके एक प्रति वापस करें। लेखाल व आख्या० व नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। पत्रावली बाद अग्रेन्तर कार्यवाही संचित अस्ति लेखाल व आदेश।

दिन तक २८-७-२०११।

भाष्टुवा० न्यायालय

विधालय

स्व० गया० प्रसाद महाविधालय  
बबौल (बादा)